न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 123/2017

1. श्री भैरू पुत्र सूरजमल
2. श्री काना पुत्र सूरजमल
समस्त जातिगण बैरवा निवासीगण जालियां तृतीय तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री काना पुत्र रामा
2. श्री रामधन पुत्र सवाई
3. श्री उगमा पुत्र जेठू
4. श्री जगदीश पुत्र श्योचन्द
5. श्री हंसराज पुत्र जेठू
6. श्री पन्ना पुत्र रामकुंवार
7. श्री प्रहलाद पुत्र रामनारायण
8. श्री रामेश्वर पुत्र रामदेव
9. श्री रघुनाथ पुत्र लखमा
10. श्री रामनाथ पुत्र मोटा
11. श्री नोरत पुत्र भैरू
12. श्री सुगना पुत्र जुवारा
13. श्री बनवारी पुत्र बरदा
समस्त जातिगण बैरवा निवासीगण जालिया तृतीय तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ (अजमेर)

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री उगमाराम गुर्जर, प्रार्थी।

2. श्री फरीद मोहम्मद शेख, अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्णित आराजी मौजा ग्राम जालिया तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
03	561	0.36 है0	न.1

कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.36 हैक्ट. कुल रकबा जो कि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में सम्पूर्ण हिस्सा में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

बनाम श्री काना पुत्र रामा व अन्य सरवाड़

यह कि प्रार्थीगण के पिता की पुश्तैनी आराजीयात है जिस पर प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात पर वर्षो से निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता के समय से वर्णित खसरा नं. में फसल काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण के पिता के एकमात्र विधिक वारिस होने से प्रार्थीगण के नाम जरिये विधिक वारिस विरासत का नामान्तरण भी जमाबंदी में दर्ज हो गया एवं उक्त वर्णित जमाबंदी में खातेदार उगमी पत्नी सुरजमल जिसकी मृत्यु दिनांक 13.06.2016 को हो गई थी एवं उसके विधिक वारिस भी प्रार्थीगण ही है। प्रार्थीगण के पास उक्त आराजीयात के अलावा अन्य कोई आराजीयात नहीं है जिसमें अप्रार्थीगण का कोई स्वामित्व एवं आधिपत्य नहीं है एवं न ही राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं है। अप्रार्थीगण नाजायज रूप से उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण को कब्जा काश्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है एवं जबरन बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थीगणों ने आराजीयात पर पत्थर डाल दिये एवं नाजायज कब्जा करने का प्रयास कर रहे है एवं दिनांक 15.11.2017 को ऐलानियां धमकी दी की उक्त आराजीयात हमारी है इस पर हम ही फसल काश्त करते थे एव हम उक्त आराजी पर जबरन पक्के मकान का निर्माण करेगें जिससे अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः–

प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम जालियां संवत् 2069–2088
प्रतिलिपी मृत्यु प्रमाण पत्र उगमी देवी
प्रतिलिपी सजरा प्रमाण पत्र कार्यालय ग्राम पंचायत सूंपा

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ (अजमेर)

अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। जवाब में निवेदन किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या व निराधार है एवं पूर्णतया खारिज होने योग्य है। यह कि जालिया स्थित ख. नं. 561 खेती की जमीन ना होकर आबादी भूमि है। इस भूमि पर विगत 70 वर्षो से मकानात आदि बने हुये है। जहां पर हम अप्रार्थीगण की पीढियां स्थायी रूप से निवास करते आ रहे है। हमारे मकानों में कई वर्षो पूर्व से बिजली के कनेक्शन लगे हुये है। ग्राम पंचायत द्वारा पक्की सड़क व सी. सी. रोड़ बनी हुयी है। प्रार्थीगण के पिता सुरजमल के जीवन काल में भी कभी भी उक्त भूमि पर काश्त नहीं हुई। उक्त भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है नहीं बेदखल करने का प्रश्न उत्पनन होता है क्यों कि विगत तीन पीढियों से अप्रार्थीगण मकानात बने हुये है। राजस्थान राज्य सरकार को पक्षकार बनाये बिना व विधिक नोटिस दिये बिना यह वाद खारिज होने योग्य है। मामला किसी भी प्रकार से आवश्यक प्रकृति का नहीं है।

प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्यों, बहस प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों पर गहन विधिक मनन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः पृथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

प्रार्थी अभिलिखित खातेदार है। अभिलिखित खातेदार का सेटल पेजशन माने जाने की अवधारणा है एवं कब्जे के बाबत अप्रार्थीगणों द्वारा कोई दस्तावेज साक्ष्य हेतु पेश नहीं किए है। अतः प्रार्थी का सेटल पजेशन मानते हुए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

लत
पुत्र

चूंकि प्रार्थी के पक्ष में पृथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान किया जाता है तो अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थी को ही संभावित है।

पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्य की संभावना को कम करने तथा पक्षकारान् के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी में प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखल ना करे तथा भूमि के मौके की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाए रखें।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ (अजमेर)

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़
उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.12 14:34:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: